कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर, छत्तीसगढ़

Phone : 0771-2426742, Fax : 0771-2445457

website : www.districtcourt-raipur.cg.nic.in, e-mail : raipur.court@nic.in

//संशोधित कार्य वितरण आदेश//

क्रमांक क्यू/एक–दो–1/2008 रायपुर, दिनांक 08 जुलाई, 2026

माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर के आदेशानुसार स्थापना के न्यायिक अधिकारियों का अन्यत्र स्थानांतरण होने एवं पदस्थ होने के फलस्वरूप, इस कार्यालय के कार्य वितरण आदेश क्रमांक क्यू/एक–दो–1/2008 रायपुर, दिनांक 01.01.2026 एवं समय–समय पर जारी संशोधन आदेश दिनांक 16.01.2026 एवं समय–समय पर जारी संशोधन आदेश दिनांक 16.01.2026, 10.02.26, 28.03.26, 28.04.26 एवं 08.05.2026 मे निम्नानुसार आंशिक संशोधन समाविष्ट किया जाता है :–

1/ कार्य विभाजन आदेश के अनुक्रमांक 01, जो **श्री बलराम प्रसाद वर्मा**, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायपुर (छ.ग.) से संबंधित है, के स्कंभ क्रमांक 4 में स.क्र. 24. के पश्चात् **"25.** माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश क्रमांक 418/दो–2–1/2026 बिलासपुर, दिनांक 02.07.2026 के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 से संबंधित समस्त दांडिक/विशेष दांडिक प्रकरण, विविध दांडिक मामले एवं जमानत याचिका का निराकरण करना।" संस्थित किया जाता है।

2/ कार्य विभाजन आदेश के अनुक्रमांक 18, जो **श्री पंकज कुमार सिन्हा,** विशेष न्यायाधीश, (अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम)/विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट), रायपुर (छ.ग.) से संबंधित है, के स्कंभ क्रमांक 2 में **श्री पंकज कुमार सिन्हा** के नाम को विलोपित तथा स्कंभ क्रमांक 4 **"रिक्त न्यायालय"** संस्थित किया जाता है।

3/ कार्य विभाजन आदेश के अनुक्रमांक 04, जो **श्री शांतनु कुमार देशलहरे,** जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश **(एफ.टी.सी.)** रायपुर (छ.ग.) से संबंधित है, के स्कंभ क्रमांक 2 में **श्री शांतनु कुमार देशलहरे** के नाम को विलोपित कर उनके स्थान पर **"श्री विनय कुमार प्रधान"** प्रतिस्थापित किया जाता है।

4/ कार्य विभाजन आदेश के अनुक्रमांक 05, जो **श्री अच्छेलाल काछी,** जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पॉक्सो मामलों की सुनवाई हेतु) रायपुर (छ.ग) से संबंधित है, के स्कंभ क्रमांक 4 में स.क्र. 04 "विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 11325 दिनांक 05.11.2019 के अनुसार लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन थाना सिविल लाईन, माना, टिकरापारा, खमतराई, तेलीबांधा, खरोरा, गोलबाजार, पुरानी बस्ती, आमानाका थाना क्षेत्र से उद्भूत मामलों का विचारण एवं निराकरण। (गरियाबंद क्षेत्र से उद्भूत मामलो को छोड़कर)" को विलोपित कर उनके स्थान पर "विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 11325 दिनांक 05.11.2019 के अनुसार लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन थाना सिविल लाईन, माना, टिकरापारा, खमतराई, तेलीबांधा, खरोरा, गोलबाजार, पुरानी बस्ती, आमानाका थाना, कबीर नगर, उरला, गुढ़ियारी क्षेत्र (इसके अतिरिक्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय/चतुर्थ फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पॉक्सो मामलो की सुनवाई हेतु), रायपुर को आंबटित थाना क्षेत्रो को छोड़कर रायपुर राजस्व जिला स्थित शेष समस्त थाना क्षेत्र) से उद्भूत मामलों का विचारण एवं निराकरण। (गरियाबंद क्षेत्र से उद्भूत मामलो को छोड़कर) ।" प्रतिस्थापित किया जाता है ।

5/ कार्य विभाजन आदेश के अनुक्रमांक 06, जो **श्री विनय कुमार प्रधान,** जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पॉक्सो मामलो की सुनवाई हेतु), रायपुर (छ.ग.) से संबंधित है, के स्कंभ क्रमांक 2 में **श्री विनय कुमार प्रधान** के नाम को विलोपित तथा स्कंभ क्रमांक 4 में **"रिक्त न्यायालय"** संस्थित किया जाता है।

6/ कार्य विभाजन आदेश के अनुक्रमांक 07, जो **श्रीमती अनिता ध्रुव,** जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पॉक्सो मामलो की सुनवाई हेतु), रायपुर (छ.ग.) से संबंधित है, के स्कंभ क्रमांक 4 में स.क्र. 03 "विधि एवं विधायी कार्य विभाग, छ.ग. शासन, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक 2986/2006/XXI-B/ C.G./2025 नवा रायपुर, दिनांक 18.07.2025 के अनुसार लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन थाना राखी, अभनपुर, गोबरानवापारा, मुजगहन, महिला थाना, तिल्दा–नेवरा, अजाक, जी.आर.पी. थाना क्षेत्र से उद्भूत मामलों का विचारण एवं निराकरण (गरियाबंद क्षेत्र से उद्भूत मामलो को छोड़कर) ।" को विलोपित कर उनके स्थान पर "विधि एवं विधायी कार्य विभाग, छ.ग. शासन, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक 2986/2006/XXI-B/ C.G./2025 नवा रायपुर, दिनांक 18.07.2025 के अनुसार लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन थाना राखी, अभनपुर, गोबरानवापारा, मुजगहन, महिला थाना, तिल्दा–नेवरा, अजाक, जी.आर.पी., गंज, देवेन्द्र नगर, खम्हारडीह थाना क्षेत्र से उद्भूत मामलों का विचारण

एवं निराकरण (गरियाबंद क्षेत्र से उद्भूत मामलो को छोड़कर) ।'' प्रतिस्थापित किया जाता है तथा स.क. 03 के पश्चात् ''**4.** रिक्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पॉक्सो मामलो की सुनवाई हेतु), रायपुर (छ.ग.) से उदभूत और संबंधित समस्त दांडिक कार्य का निराकरण ।'' करना संस्थित किया जाता है ।

7/ कार्य विभाजन आदेश के अनुक्रमांक 08, जो **श्री गिरीश कुमार मण्डावी,** जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पॉक्सो मामलो की सुनवाई हेतु), रायपुर (छ.ग.) से संबंधित है, के स्कंभ क्रमांक 4 में स.क. 03 ''विधि एवं विधायी कार्य विभाग, छ.ग. शासन, रायपुर की अधिसूचना कमांक 2986/2006/XXI-B/C.G./25 नवा रायपुर, दिनांक 18.07.25 के अनुसार लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन थाना सिटी कोतवाली, मौदहापारा, डी.डी. नगर, आरंग, पंडरी, मंदिर हसौद, धरसींवा, विधानसभा थाना क्षेत्र से उद्भूत मामलों का विचारण एवं निराकरण (गरियाबंद क्षेत्र से उद्भूत मामलो को छोड़कर)।'' को विलोपित कर उनके स्थान पर ''विधि एवं विधायी कार्य विभाग, छ.ग. शासन, रायपुर की अधिसूचना कमांक 2986/2006/XXI-B/C.G./25 नवा रायपुर, दिनांक 18.07.25 के अनुसार लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन थाना सिटी कोतवाली, मौदहापारा, डी.डी. नगर, आरंग, पंडरी, मंदिर हसौद, धरसींवा, विधानसभा, न्यू राजेन्द्र नगर, आजाद चौक, सरस्वती नगर थाना क्षेत्र से उद्भूत मामलों का विचारण एवं निराकरण (गरियाबंद क्षेत्र से उद्भूत मामलो को छोड़कर)।'' प्रतिस्थापित किया जाता है ।

8/ कार्य विभाजन आदेश के अनुक्रमांक 8 के पश्चात् 8ए संस्थित किया जाना है, जिसके स्कंभ कमांक 2 में **''श्री सुमित कपूर**, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), रायपुर (छ.ग.)'' स्कंभ कमांक 3 में ''सिविल जिला रायपुर एवं सत्र खण्ड रायपुर'', स्कंभ कमांक 4 में ''**1.** प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये गये सत्र प्रकरण, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण, विविध दांडिक मामले। **2.** विधि एवं विधायी कार्य विभाग रायपुर की अधिसूचना कमांक 6820 दिनांक 21.07.2017 के अनुसार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण एवं उससे संबंधित विविध दांडिक प्रकरण एवं जमानत याचिका। **3.** प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य। **4.** मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत **आरक्षी केन्द्र गोलबाजार एवं टिकरापारा** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न अथवा उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले आवेदक, अनावेदक के मोटर दुर्घटना दावा के समस्त मामले ।'' प्रतिस्थापित किया जाता है।

9/ कार्य विभाजन आदेश के अनुक्रमांक 09, जो **श्री नीरज शर्मा,** प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) /विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम), रायपुर (छ.ग.) से संबंधित है, के स्कंभ क्रमांक 4 में स.क. 03 ''भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण एवं उससे संबंधित विविध दांडिक प्रकरण एवं जमानत याचिका।'' को विलोपित कर उनके स्थान पर ''प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये जाने वाले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण एवं उससे संबंधित विविध दांडिक प्रकरण एवं जमानत याचिका।'' प्रतिस्थापित किया जाता है ।

10/ कार्य विभाजन आदेश के अनुक्रमांक 10, जो **श्री जितेन्द्र कुमार सिंह,** द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायपुर (छ.ग.) से संबंधित है, के स्कंभ क्रमांक 4 में स.क. 05 ''जिला मुख्यालय रायपुर में **रिक्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर** से उदभूत और संबंधित समस्त सिविल एवं दांडिक कार्य का निराकरण उक्त न्यायालय के रिक्त रहते तक कार्य व्यवस्था में।'' को विलोपित किया जाना है तथा स. क. 06. ''मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत **आरक्षी केन्द्र राखी, गोलबाजार एवं विधानसभा** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न अथवा उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले आवेदक, अनावेदक के मोटर दुर्घटना दावा के समस्त मामले ।'' के स्थान पर ''मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत **आरक्षी केन्द्र राखी एवं विधानसभा** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न अथवा उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले आवेदक, अनावेदक के मोटर दुर्घटना दावा के समस्त मामले ।'' प्रतिस्थापित किया जाता है ।

11/ कार्य विभाजन आदेश के अनुक्रमांक 12, जो **श्री बृजेश राय,** चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/अति. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम)/विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम), रायपुर से संबंधित है, के स्कंभ क्रमांक 4 में स.क. 04 ''भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण एवं उससे संबंधित विविध दांडिक प्रकरण एवं जमानत याचिका। '' को विलोपित कर उनके स्थान पर ''प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये जाने वाले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण एवं उससे संबंधित विविध दांडिक प्रकरण एवं जमानत याचिका।'' प्रतिस्थापित किया जाता है ।

12/ कार्य विभाजन आदेश के अनुक्रमांक 13, जो **श्री नरेन्द्र कुमार,** पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम), रायपुर (छ.ग.) से संबंधित है, के स्कंभ क्रमांक 4 में स.क्र. 05 "मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत **आरक्षी केन्द्र मुजगहन, सिटी कोतवाली एवं टिकरापारा** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न अथवा उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले आवेदक, अनावेदक के मोटर दुर्घटना दावा के समस्त मामले ।" के स्थान पर "मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत **आरक्षी केन्द्र मुजगहन एवं सिटी कोतवाली** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न अथवा उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले आवेदक, अनावेदक के मोटर दुर्घटना दावा के समस्त मामले ।" प्रतिस्थापित किया जाता है ।

13/ कार्य विभाजन आदेश के अनुक्रमांक 14, जो **श्री डमरूधर चौहान,** षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायपुर (छ.ग.) से संबंधित है, के स्कंभ क्रमांक 2 में **श्री डमरूधर चौहान** के नाम को विलोपित कर उनके स्थान पर **"श्री अमित राठौर"** प्रतिस्थापित किया जाता है।

14/ कार्य विभाजन आदेश के अनुक्रमांक 16, जो **श्रीमती एकता अग्रवाल,** अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम)/विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम), रायपुर (छ.ग.) से संबंधित है, के स्कंभ क्रमांक 4 में स.क्र. 05 "मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत **आरक्षी केन्द्र पंडरी, देवेन्द्रनगर एवं आजाद चौक** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न अथवा उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले आवेदक, अनावेदक के मोटर दुर्घटना दावा के समस्त मामले ।" के स्थान पर "मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत **आरक्षी केन्द्र पंडरी एवं देवेन्द्रनगर** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न अथवा उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले आवेदक, अनावेदक के मोटर दुर्घटना दावा के समस्त मामले ।" प्रतिस्थापित किया जाता है ।

15/ कार्य विभाजन आदेश के अनुक्रमांक 18, जो **श्रीमती पल्लवी तिवारी,** नवम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायपुर (छ.ग.) से संबंधित है, के स्कंभ क्रमांक 4 में स.क्र. 06 "मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत **आरक्षी केन्द्र धरसींवा, गोबरा नवापारा एवं मौदहापारा** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न अथवा उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले आवेदक, अनावेदक के मोटर दुर्घटना दावा के समस्त मामले ।" के स्थान पर "मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत **आरक्षी केन्द्र धरसींवा एवं गोबरा नवापारा** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न अथवा उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले आवेदक, अनावेदक के मोटर दुर्घटना दावा के समस्त मामले ।" प्रतिस्थापित किया जाता है ।

16/ कार्य विभाजन आदेश के अनुक्रमांक 17, जो **(रिक्त न्यायालय)** दशम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/**विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट)** रायपुर (छ.ग.) से संबंधित है, के स्कंभ क्रमांक 2 में **"रिक्त न्यायालय"** को विलोपित कर उनके स्थान पर **"श्री डमरूधर चौहान"** का नाम एवं स्कंभ क्रमांक 4 में स.क्र. 04 "विधि एवं विधायी कार्य विभाग, छ.ग. शासन की अधिसूचना कमांक 3820 दिनांक 22.10.2024 के अनुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये जाने वाले **एनडीपीएस एक्ट** से संबंधित मामलों का निराकरण करना।" को विलोपित कर उनके स्थान पर "विधि एवं विधायी कार्य विभाग, छ.ग. शासन की अधिसूचना कमांक 86765/2065/XXI-B/C.G./2025-26 नवा रायपुर, दिनांक 08.07.2026 के अनुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा अंतरित किये जाने वाले **एनडीपीएस एक्ट** से संबंधित मामलों का निराकरण करना।" प्रतिस्थापित किया जाना है तथा उसके पश्चात् "**5.** मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत **आरक्षी केन्द्र आजाद चौक एवं मौदहापारा** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न अथवा उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले आवेदक, अनावेदक के मोटर दुर्घटना दावा के समस्त मामले।" संस्थित किया जाता है ।

17/ कार्य विभाजन आदेश के अनुक्रमांक 19, जो **श्री अजय कुमार खाखा,** एकादश जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायपुर (छ.ग.) से संबंधित है, के स्कंभ क्रमांक 4 में स.क्र. 05 "जिला मुख्यालय रायपुर में **रिक्त दशम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर** से उदभूत और संबंधित समस्त सिविल एवं दांडिक कार्य का निराकरण ।" को विलोपित किया जाता है ।

18/ कार्य विभाजन आदेश के **अत्यावश्यक कार्य के संबंध में निर्देश** के अनुक्रमांक 04 **'विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.)''** से संबंधित है, की सारणी के स्थान पर निम्नानुसार सारणी प्रतिस्थापित किया जाता है :–

स. क्र.	अवकाश पर रहने वाले न्यायाधीश का नाम	सरल क्रमांक–2 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्य सम्पादित करने वाले न्यायाधीश	सरल क्रमांक–3 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्य सम्पादित करने वाले न्यायाधीश
1.	**2.**	**3.**	**4.**
1.	विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट), रायपुर	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.)	दशम अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.)
2.	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.)	विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट), रायपुर	दशम अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.)
3.	दशम अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.)	विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट), रायपुर	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.)

19/ कार्य विभाजन आदेश के **अत्यावश्यक कार्य के संबंध में निर्देश** के अनुक्रमांक 13 **'प्रधान जिला न्यायाधीश/जिला न्यायाधीश हेतु''** से संबंधित है, की सारणी के स्थान पर निम्नानुसार सारणी प्रतिस्थापित किया जाता है :–

प्रधान जिला न्यायाधीश/जिला न्यायाधीश हेतु :–

स. क्र.	अवकाश पर रहने वाले न्यायाधीश का नाम	सरल क्रमांक–2 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्य सम्पादित करने वाले न्यायाधीश	सरल क्रमांक–3 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्य सम्पादित करने वाले न्यायाधीश	सरल क्रमांक–4 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्य सम्पादित करने वाले न्यायाधीश
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
1.	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर	वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर
2.	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर
3.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर
4.	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर
5.	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर
6.	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर
7.	षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	नवम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर
8.	सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	नवम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	दशम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर
9.	अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	नवम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	दशम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	एकादश जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर
10.	नवम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	दशम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	एकादश जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	द्वादश जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर
11.	दशम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	एकादश जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	द्वादश जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	त्रयोदश जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर
12.	एकादश जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	द्वादश जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	त्रयोदश जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	चर्तुदश जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर

13.	द्वादश जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	त्रयोदश जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	चर्तुदश जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर
14.	त्रयोदश जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	चर्तुदश जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	षष्ठदश जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर
15.	चर्तुदश जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	षष्ठदश जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर
16.	षष्ठदश जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर
17.	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर
18.	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी), रायपुर	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर
19.	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गरियाबंद	वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर

सही/–
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायपुर, छत्तीसगढ़

पृष्ठांकन कमांकक...../एक–2–1/08 रायपुर, दिनांक 08 जुलाई, 2026

यथाआदेश प्रतिलिपि :–

1. प्रस्तुतकार, न्यायालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.)
2. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज/सी.बी.आई./एनडीपीएस), रायपुर (छ.ग.)
3. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), रायपुर (छ.ग.)
4. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम/तृतीय/चतुर्थ/फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय, रायपुर/गरियाबंद
5. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/सप्तम/अष्टम/नवम/दशम/एकादश/द्वादश/त्रयोदश/चर्तुदश/षष्ठदश/जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर/गरियाबंद (छ.ग.)
6. प्रथम/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/सप्तम/अष्टम/व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, रायपुर /गरियाबंद (छ.ग.)
7. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के तृतीय/चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.)
8. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान **तिल्दा/राजिम** ।
9. द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/सप्तम/दशम/एकादश/द्वादश/त्रयोदश/चर्तुदश/पंचदश/षष्ठदश/सप्तदश/अष्टदश/नवदंश/बीसवां/ईक्कीसवा/बाईसवा व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, रायपुर/गरियाबंद/देवभोग/आरंग (छ.ग.)
10. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के प्रथम/तृतीय/षष्ठम/सप्तम/अष्टम/नवम/दशम/एकादश/चतुर्थदश अतिरिक्त न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.)
11. प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, रायपुर/गरियाबंद (छ.ग.)
12. सभापति, स्थायी जनोपयोगी लोक अदालत, रायपुर (छ.ग.)
13. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.)
14. प्रभारी अधिकारी, कार्यालय/नजारत/अभिलेखागार/प्रतिलिपि/कम्प्यूटर अनुभाग, रायपुर (छ.ग.)
15. शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, रायपुर (छ.ग.)
16. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, रायपुर/गरियाबंद/तिल्दा/राजिम/देवभोग/आरंग (छ.ग.)
17. वरिष्ठ न्यायालय प्रबंधक, कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.)
18. प्रशासनिक अधिकारी/न्यायालय उपाधीक्षक, कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित ।

08/07/26

प्रभारी अधिकारी
वास्ते/– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायपुर, छत्तीसगढ़